

351

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L. - 33004/99



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 253]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 15, 2012/माघ 26, 1933

No. 253]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 15, 2012/MAGHA 26, 1933

गृह मंत्रालय

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

अधिसूचना

NOTIFICATION

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 2012

New Delhi, the 15th February, 2012

का.आ. 288(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 239 के खण्ड (1) के अनुसरण में, एतद्वारा यह निदेश देती हैं कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, राष्ट्रपति के नियंत्रण के अध्यक्षीन और अगले आदेशों तक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में इसको लागू करने में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 8 के अंतर्गत राज्य सरकार की शक्तियों का प्रयोग करेंगे और उसके कार्यों का निर्वहन भी करेंगे।

S.O. 288(E).—In pursuance of clause (1) of Article 239 of the Constitution, the President hereby directs that the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi shall, subject to the control of the President and until further orders, also exercise the powers and discharge the functions of the State Government under Section 8 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) in its application to the National Capital Territory of Delhi.

[फा. सं. यू-11014/2/2010-यू टी एल]

[F. No. U-11014/2/2010-UTL]

के. के. पाठक, संयुक्त सचिव

K. K. PATHAK, Jt. Secy.